

न्यायालय सहायक कलक्टर औसियाँ जिला-जोधपुर

पीठासीन अधिकारी- रतनलाल रेगर(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या- 876/2020

वादी- सरकार जरिये तहसीलदार औसियाँ
प्रतिवादी-

1. पेमाराम पि. घमण्डाराम जाति ब्राह्मण निवासी निम्बली बेरा।

वाद अंतर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-:निर्णय:-


जरिये तहसीलदार औसियाँ के इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि तहसील औसियाँ पटवार मंडल सामराऊ के ग्राम निम्बली बेरा के जमाबन्दी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 1017 रकबा 34.16 किस्म बारानी IV व 1165 रकबा 11 किस्म बारानी IV मे जडाव पत्रि मालाराम ढोली बकाशत पेमाराम पि. घमण्डाराम जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार दर्ज है तथा मिसल बन्दोबस्त मे मोती वल्द अन्ना कौम ढोली बहकाशत पेमाराम पि. गमडीराम सा. देह दर्ज है।जमाबन्दी सेग्रीगेशन कार्य मे खातेदार एवं बकाशत दोनो के नाम ऐडोप्ट नही कर रहा है।

अतः मूल खातेदार का नाम ही रखा जाकर व काशत करने वाले कृषक का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किया जाने का खाता दुरुस्ती आदेश प्रदान करावे ताकि DILRMP योजनांतर्गत जमाबन्दी खाते का सेग्रीगेशन पूर्ण किया जा सके ।

उक्त पत्रावली प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।लेकिन प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहे।जिससे एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अनुसूचित जाति के खातेदार की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्ति का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।
अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है।

-:: निर्णय ::-

अत वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसील औसियाँ पटवार मंडल सामराऊ के ग्राम निम्बली बेरा के जमाबन्दी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 1017 रकबा 34.16 किस्म बारानी IV व 1165 रकबा 11 किस्म बारानी IV मे खातेदार जडाव पत्रि मालाराम ढोली के साथ लिखे गए बकाशत पेमाराम पि. घमण्डाराम जाति ब्राह्मण के इन्द्राज को क्लोपित के आदेश दिये जाते है ।निर्णय अनुसार पालना हेतु तहसीलदार औसियाँ को तहरीर जारी हो।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


रतनलाल रेगर(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर औसियाँ

आज दिनांक 13/01/2020 को निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।





रतनलाल रेगर(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर औसियाँ